MSME के लिए CIMSME की टीम ने शुरू की एक नई पहल, टीम के सदस्य साथ जाएंगे बैंक और लोन अप्रूव करवाने में करेंगे आपकी मदद

Publish Date:Thu, 26 Aug 2021 02:42 PM (IST) | Author: **Ashish Deep**

नई

देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और उसे मजबूत बनाने में MSME सेक्टर की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। निर्यात को बढ़ाने और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने में यह सेक्टर हमेशा ही आगे रहा है।

दिल्ली, ब्रांड डेस्क। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और उसे मजबूत बनाने में MSME सेक्टर की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। निर्यात को बढ़ाने और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने में यह सेक्टर हमेशा ही आगे रहा है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें इस सेक्टर के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं और इन्हें सहायता देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और ब्याज में छूट दिया जा रहा है, ताकि ये अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत कर सकें।

MSME में संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो फंड की है। सरकार ने कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन बैंक से लोन लेना उनके लिए टेढ़ी खीर के समान है। लोन तो बाद की बात है, बैंक सबसे पहले एप्लीकेशन ही स्वीकार नहीं करता। हालांकि, बैंक की अपनी ही मजबूरी है। जिस तरह

से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे है, वो नहीं चाहते कि उनका पैसा किसी ऐसे हाथ में चला जाए, जहां से वापस लाना उनके लिए मुश्किल हो। पैसे न मिलने की वजह से उनका NPA भी बढ़ता है।

Bank Locker में रखा सोना किस काम का, इस तरकीब से कमाई और रखवाली दोनों होगी
यह भी पढ़ें

MSME को टेक्नोलॉजी और दूसरे तरीकों से अपना विस्तार करना है और इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, जो बैंक ही दे सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की तरफ से यह स्पष्ट हिदायत है कि बैंक ब्रांच MSME के लोन एप्लीकेशन को प्राप्त करे और अपनी तरफ से सही से जांच-पड़ताल करके निर्णय लें कि लोन देना है या नहीं।

वैसे इस मामले में लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत तो यह है कि बैंक ब्रांच उनकी लोन एप्लीकेशन लेता ही नहीं है। आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए पहली बार CIMSME और MSME हेल्पलाइन ने यह प्रण लिया है कि अगर कोई बैंक ब्रांच आपका लोन एप्लीकेशन नहीं लेता तो CIMSME (Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises) के अध्यक्ष मुकेश मोहन गुप्ता स्वयं या उनकी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक जाएंगे कि लोन एप्लीकेशन ले ली जाए।

PF खाते से निकालना है पैसा तो पहले चेक कर लें ये 4 प्वाइंट, नहीं होगी दिक्कत
यह भी पढ़ें

अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए –

लोन एप्लीकेशन को स्वीकार या अस्वीकार करना बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है। अगर आपकी योग्यता उनकी नीतियों के अनुरूप है तो आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करने में ज्यादा मुश्किले नहीं आएगी। अगर आप योग्य नहीं हैं तो CIMSME इसमें कुछ नहीं कर सकता। हां, अगर बैंक ब्रांच आपका लोन एप्लीकेशन पढ़ता ही नहीं और बिना जांचे अस्वीकार कर देता है, तो CIMSME की टीम आपके साथ आपका एप्लीकेशन सब्मिट करवाने जाएगी। हालांकि, इसकी कुछ शर्तें भी हैं जैसे -

1. पहली बार यह सुविधा केवल दिल्ली और NCR के MSME के लिए है। धीरे-धीरे अन्य जगहों पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

2. CIMSME की टीम से संपर्क करने से पहले आपको बैंक ब्रांच विजिट करके स्वयं प्रयास करना होगा।

3. टीम से संपर्क करने के बाद आपको बताना होगा कि आपने पूर्व में बैंक और वितीय संस्थान के लोन वापिस करने में देरी या डिफॉल्ट तो नहीं किया है। 4. आपकी बुनियादी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। जैसे आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपके काम में कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं और कितना पैसा आप बैंक से लेना चाहते हैं।

Infra सेक्टर में आएगा 15 हजार करोड़ रुपए का FDI, बनेंगे नई नौकरियों के मौके-सरकार ने दी इजाजत
यह भी पढ़ें

5. CIMSME की टीम से संपर्क करने के लिए आप टॉल-फ्री नंबर 1800-309-2468 पर कॉल कर सकते हैं। यह स्वावलंबन फैसिलिटी सेंटर है, जिसे SIDBI (Small Industries Development Bank of India) सपोर्ट कर रहा है।